# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

1. परताप पुत्र फूलचन्द जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन–मृतक

1/1. महाराजसिंह पुत्र स्व. परताप जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

2. गिरधर पुत्र किशोर जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन– मृतक

2/1. किरणदेवी बेबा गिरधर
2/2. राकेश पुत्र गिरधर
2/3. सरोज पुत्री गिरधर
2/4. मूरती पुत्री गिरधर

जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. राजू पुत्र किशोर
4. यादराम पुत्र किशोर
5. दामो पुत्र किशोर

जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. सियाराम पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

6/1. विज्जल देवी बेबा सियाराम
6/2. रामवीर पुत्र सियाराम
6/3. सुरेन्द्र पुत्र सियाराम
6/4. सरवेश पुत्री सियाराम

जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

7. निहालसिंह पुत्र परसादी
8. रामसहाय पुत्र बलवन्ता

जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

9. प्यारसिंह पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

9/1. रूपसिंह पुत्र प्यारसिंह | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
9/2. रामभरोसी पुत्र प्यारसिंह | तहसील हिण्डौन जिला करौली
9/3. पदमबाई पुत्री प्यारसिंह |

10. रामसहाय पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

10/1. सुशीला पुत्री रामसहाय | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडीकापुरा
10/2. रूकमणी पुत्री रामसहाय | तहसील हिण्डौन जिला करौली
10/3. झुनियादेवी बेबा रामसहाय |

11. कमोदी पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

11/1. प्रेमदेवी पुत्री कमोदी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा श्रीमहावीरजी जिला करौली

12. बिरजू पुत्र रामहेत | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
13. रामखिलाडी पुत्र रामहेत | तहसील हिण्डौन जिला करौली —— वादीगण

बनाम

1. नंगूराम पुत्र दरबसिंह | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
2. बलराम पुत्र दरबसिंह | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. मोहनसिंह पुत्र दरबसिंह | ———————————— प्रतिवादीगण
4. रघुवीर पुत्र धनीराम | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा
5. हाकिमसिंह पुत्र धनीराम | तहसील हिण्डौन जिला करौली
6. राज.सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली ——— तरतीबी प्रतिवादीगण

## दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 132/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ..... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

17/2/26

( हेमराज गुर्जर )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 132/2008 तारीख रजू:–01.09.2008

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. परताप पुत्र फूलचन्द जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन–मृतक

1/1. महाराजसिंह पुत्र स्व. परताप जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

2. गिरधर पुत्र किशोर जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0 हिण्डौन– मृतक

| | |
|---|---|
| 2/1. किरणदेवी बेबा गिरधर | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा, |
| 2/2. राकेश पुत्र गिरधर | श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 2/3. सरोज पुत्री गिरधर | |
| 2/4. मूरती पुत्री गिरधर | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर |

| | |
|---|---|
| 3. राजू पुत्र किशोर | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर |
| 4. यादराम पुत्र किशोर | तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 5. दामो पुत्र किशोर | |

6. सियाराम पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

| | |
|---|---|
| 6/1. विज्जल देवी बेबा सियाराम | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर |
| 6/2. रामवीर पुत्र सियाराम | |
| 6/3. सुरेन्द्र पुत्र सियाराम | तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 6/4. सरवेश पुत्री सियाराम | |

| | |
|---|---|
| 7. निहालसिंह पुत्र परसादी | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर |
| 8. रामसहाय पुत्र बलवन्ता | तहसील हिण्डौन जिला करौली |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

9. प्यारसिंह पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

9/1. रूपसिंह पुत्र प्यारसिंह
9/2. रामभरोसी पुत्र प्यारसिंह
9/3. पदमबाई पुत्री प्यारसिंह
| जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

10. रामसहाय पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

10/1. सुशीला पुत्री रामसहाय
10/2. रूकमणी पुत्री रामसहाय
10/3. झुनियादेवी बेबा रामसहाय
| जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडीकापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

11. कमोदी पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तह0हिण्डौन–मृतक

11/1. प्रेमदेवी पुत्री कमोदी जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा श्रीमहावीरजी जिला करौली

12. बिरजू पुत्र रामहेत
13. रामखिलाडी पुत्र रामहेत
| जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली —— वादीगण

**बनाम**

1. नंगूराम पुत्र दरबसिंह
2. बलराम पुत्र दरबसिंह
| जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. मोहनसिंह पुत्र दरबसिंह ———————————— प्रतिवादीगण

4. रघुवीर पुत्र धनीराम
5. हाकिमसिंह पुत्र धनीराम
| जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर पमडी का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. राज.सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली ——— तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

## दावा बाबत घोषणा खातेदारी
## एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण

# निर्णय

दिनांक :–17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि साविक खसरा नम्बर 1036, 1037 हाल खसरा नम्बर 1611 वाके ग्राम अबकरपुर तहसील हिण्डौन पहले वादीगण परताप, वादी नम्बर 8 रामसहाय तथा वादी नम्बर 2 ता 5 के पिता किशोर तथा वादी नम्बर 6,7 के पिता परसादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4,5 के पिता धनीराम के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। इस बावत उक्त खातेदारान ने प्रतिवादी नम्बर 1,2,3 के पिता दरबसिंह तथा वादीगण नम्बर 9 लगायत 13 के विरुद्ध उनवानी मुकदमा परताप बनाम दरबसिंह दावा इस्तकरार हक तथा हुक्मं इम्तनाई दबामी मुकदमा नम्बर 118/68 न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन में दायर किया जो बरूए राजीनामा दिनाँक 26.11.70 को डिकी हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि के खातेदारान परताप, किशोर, रामसाय, धनीराम तथा परसादी हुए। किशोर तथा धनीराम, परसादी फोत हो चुके है। उनके वारिसान वादी नम्बर 2 लगायत 7 तथा प्रतिवादी नम्बर 4,5 है। इस भूमि का भू प्रबन्ध अधिकारीगण ने नवीन खसरा नम्बर 1611 बनाया, जिसे मुकदमा नम्बर 118/68 के वादीगण ने वादी नम्बर 9 लगायत 13 से 30 साल पूर्व 6000/– रूपया लेकर विक्रय कर दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 1611 वादी नम्बर 9 लगायत 13 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर को वादीगण ने बजमाने पेर्वज चारो तरफ से डौल मैड से महदूद कर रखा है। इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के पश्चिमी भाग के प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी आदि बनाम दरबसिंह आदि दिनांक 26.11.70 को डिक्री हो जाने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता दरबसिंह ने दावा हाजा के वादीगण नम्बर 9 लगायत 13 के विरूद्ध दूसरा दावा उनवानी मुकदमा दरबसिंह बनाम प्यारसिंह दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकमा नम्बर 71/81 न्यायालय एस० डी० ओ० हिण्डौन में दायर किया जो दिनाँक 16.09.85 को धारा 11 जा०दी० के तहत रेसजुडीकेटा होने के कारण खारिज हुआ। मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह की अपील भी प्रतिवादीगण व उसके पिता दरबसिंह ने नही की। इसलिए मुकदमा नम्बर 118/68 का निर्णय अंतिम तथा नातिक है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता दरबसिंह ने विवादित भूमि मुतजिकरा मद नम्बर 1 वाद पत्र की बावत वादीगण नम्बर 9 ता 13 के विरुद्ध तीसरा दावा मुकदमा नम्बर 351/98 उनवानी दरबसिंह बनाम प्यारसिंह दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दायर किया जिसमें दरबसिंह के फोत हो जाने के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने संशोधित वाद पत्र पेश किया जो दिनांक 25.02.04 को खारिज हुआ।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि उसी विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के 1/2 भाग पश्चिमी बावत चौथा दावा प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी में उनवानी मुकदमा नंगूराम आदि बनाम प्यारसिंह आदि दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 64/08 दायर कर दिया है। उक्त दावे के साथ दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा पेश की जो दिनांक 12.08.2008 को रेसजुडीकेटा मान कर खारिज कर दी है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 रकवा 72 ऐयर के किसी भाग से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। लेकिन राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

रिकार्ड में मुकदमा नम्बर 118/68 की अनुपालना में उक्त मुकदमा के वादीगण के हक में सहवन से नाम दर्ज नही हो पाया, जिसका नाजाइज फायदा उठा कर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 उसी भूमि के बावत वादीगण के विरूद्ध बार बार दावा कर रहे है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि मुकदमा नम्बर 118/68 के डिक्रीदार धनीराम फोत हो जाने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 4, 5 पक्षकार वादी बनने को तैयार नहीं है इसलिए उन्हें तरतीवी प्रतिवादी बनाया है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में मुकदमा नम्बर 118/68 की पालना में डिक्रीदारान अनपढ तथा ग्रामीण कृषक होने के कारण अमल दरामद नहीं करा पाये तथा विवादित भूमि की उक्त डिक्रीदारान ने 30 साल पूर्व वादी नम्बर 9 लगायत 13 को विक्रय कर कब्जा करा दिया है। वादीगण नम्बर 9 ता 13 विवादित भूमि को लगातार रूप से प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए लौंग टर्म पजेशन तथा एडवर्स पजैशन के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण नम्बर 9 ता 13 अपने हक में करा पाने के अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि बाका दिनॉक 23.08.08 को सुबह 10 बजे वादीगण अपने उक्त भूमि में आगामी फसल के लिए सावत की जोत लगा कर सुधार कर रहे तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 वादी नम्बर 9 ता 13 के उपर हमलावर हुए तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि आयन्दा तुम वादीगण को विवादित भूमि को काश्त नहीं करने देगें। जमीन पर पैर भी रखा तो हाथ पैर तोड देगें। प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक में घोषणा खातेदारी कराने से भी इन्कार कर दिया। इसलिए दावा हाजा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दायर कर लाजिम आया।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनाँक 23.08.2008 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने वादीगण के कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप पैदा करते रहने की ऐलानिया धमकी देने से एवं घोषणा खातेदारी बहक वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

कराने से इन्कार होने से अन्दर हदूद आराजी बमुकाम अकबरपुर तहसीलल हिण्डौन पैदा हुई। दावा हाजा अन्दर म्याद पेश।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि बालिहाज पैदा होने विनायदावा, सकूनत फरिकेन तथा विवादित भूमि सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में होने से दावा हाजा के समायत अधिकार अदालतबाला को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय सिड्यूल के सीरियल नम्बर 5 धारा, 88 धारा 91, 92 तथा सीरियल नम्बर 23 सी के तहत धारा 188 के अंतर्गत प्रस्तुत है जिस पर मुकर्रा कोर्ट फीस 5/– रूपया पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 12 क में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 बावत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर वादीगण नम्बर 9 लगायत 13 को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तदनानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण नम्बर 9 ता 13 के हक में इन्द्राज किया जावें।

वाद पत्र के मद नं0 12 ख में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियो की मदद से आराजी खसरा नम्बर 1611 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप पैदा ना करें। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। वादीगण को विवादित भूमि के किसी भी भाग से बेदखल ना करें।

वाद पत्र के मद नं0 12 ग में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो बहक वादीगण साबित हो डिक्री की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.01.2009 को प्रतिवादी सं01 ता 5 की ओर से श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 17.02.2009

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला–करौली

को प्रतिवादी सं06 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.10.2009 को प्रतिवादी सं01 ता 5 ने जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद का मद नं0 1 जिस प्रकार तहरीर किया है सही नहीं है। आराजी साबिक खसरा नं0 1036 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 18 विस्वा जिसका रकबा होना चाहिए 48 ऐयर जबकि आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 72 ऐयर उक्त दोनों साबिक खसरा नम्बरान से कैसे बनी वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में नहीं बताया है। और इसलिए साबिक ख0नं0 का रकबा अंकित नहीं किया है। मुकदमा नं0 118/68 न्यायालय श्रीमानजी में तथाकथत राजीनामा तारीखी 26.11.70 व उस आधार पर पारित डिक्री व आदेश गतल है फर्जी है। मृतक दरब सिंह द्वारा तथा कथत कोई राजीनामा नहीं किया। तथा कथत बेचान बहक वादी सं0 9 ता 13 करीब तीस साल पूर्व मुबलिग 6000/– रू0 एकदम गलत मनगढन्त व फर्जी है। मौके पर भूमि विवादग्रस्त के दो हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा तरफ पश्चिम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त का कतई अलग है। इस प्रकार इस मद में सभी बातें गलत अंकित करवाई हैं।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 2 गलत है अस्वीकार है। मुकदमा नम्बर 118/68 को फर्जी राजीनामा के आधार पर दिनांक 26.11.1970 को डिक्री करवाया गया। जो मेरिट पर फैंसल नहीं हुआ। मुकदमा नं0 71/81 को भी दिनांक 16.09.1985 को धारा 11 जा0दी0 के आधार पर निस्तारित करवा दिया जबकि उक्त दावे पर धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते। क्योंकि मुकदमा नं0 118/68 मेरिटस पर फैंसल नहीं किया गया। उसमें कोई तनकी नहीं बनी ना किसी तनकी का निस्तारण किया गया। ऐसी सूरत में जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। इसलिए मुकदमा नं0 118/68 का निर्णय अंतिम निर्णय की तारीफ में नहीं आता है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 3 गलत है, अस्वीकार है। मुकदमा नं0 351/98 का निर्णय स्वयं वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

आधार पर मेरिटस पर नहीं हुआ वह अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाना अंकित किया है। जिसके निर्णय से वादीगण को कोई लाभ नहीं मिलता।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 4 गलत है, अस्वीकार है। मुकदमा उनवानी नंगू बनाम प्यार सिंह आदिका प्रार्थना पत्र टी0आई0 का निर्णय तारीखी 12.08.2008 रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर गलत निर्णित फरमाया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 5 गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नं0 1166 रकबा 72 ऐयर के 1/2 हिस्से के खातेदार है। मौके पर 1/2 भाग बरफ पश्चिम वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। और वह कम आज भी बदस्तूर है। इस प्रकार इस मद में सभी इबारत गलत है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 6 गलत है अस्वीकार है। वादीगण अनपढ नहीं है। बल्कि पढे लिखे व सरकारी नौकरी में तैनात है। तथाकथत विक्रय 30 साल पूर्व एकदम फर्जी व बनावटी है। वादीगण का कोई लोंग टर्म व एडवर्स पजेशन आराजी विवादग्रस्त पर नहीं है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 7 गलत है। अस्वीकार है। इस मद में अंकित सभी बातें एकदम गलत व मनगएन्त अंकित करवाई है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 8 गलत है, अस्वीकार है। तथाकथित बाका दिनांक 23.08.2008 एकदम गलत व मनगढन्त है। वादीगण द्वारा वाद पत्र एकदम गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 9 गलत है, अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होता।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 10 कानूनी है, कोई ऐतराज नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11 कानूनी है, कोई आपत्ति नहीं है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि मद नं0 12 के उपमद क ख ग गलत है। अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादीगणों के खिलाफ इन मदों में चाही गई कोई रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

**विशेष विवरण :–**

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा मुकदमा हाजा पूर्व मुकदमों के निर्णयों के वास्तविकता को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। इसलिए हाईड एण्ड सींक के आधार पर वादीगण कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि तथाकथित मुकदमा नं0 118/68 जिसमें मृतक रामहेत व उसके वारिसान वादी सं0 9 ता 13 एवं प्रतिवादीगण के पिता दरबसिंह प्रतिवादी थे। जिसमें मृतक दरब सिंह द्वारा कोई राजीनामा नहीं दिया। मुकदमा का निस्तारण मेरिट पर नहीं हुआ, तनकी कायम नहीं हो पाई। महज राजीनामा के आधार पर गलत डिक्री कायम करवा ली। जिस पर रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त किसी भी प्रकार आरिज नहीं होता तथा कथित खरीद फरोख्त 6000/– रू0 का ना तो कोई सबूत है ना ही दस्तावेज है। जिसके अभाव में महज कह देना मात्र वादीगण की फर्जकारी को साबित करता है। इस आधार पर मुकदमा चलने योग्य नहीं है।

जबावदावा के मद नं015 में दर्ज किया है कि वादीगण सभी मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर हाईड एवं सींक के आधार पर कोई दादरसी प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने बकालतनामा पेश करने के लिए कई बार समय चाहा किन्तु उन्होंने बकालतनामा पेश नहीं किया तथा दिनांक 15.01.2026 को प्रतिवादी सं01 ता 5 व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र प्रदर्श–4, नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 प्रदर्श–5, नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970 प्रदर्श–6 नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी वाद पत्र प्रदर्श–7, नकल न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं0 71/81 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी में पारित आदेश दिनांक 16.09. 1985 प्रदर्श–8, नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा की आदेशिका दिनांक 25.02.2004 प्रदर्श–9, नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह आदेशिका दिनांक 12.08.2008 प्रदर्श–10, नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह वाद पत्र की प्रति प्रदर्श– 11, नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 64/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र की प्रति प्रदर्श– 12, नकल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 34/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रकरण संख्या 37/2008

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 की प्रति प्रदर्श–13, नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 64/2008 उनवानी नंगू बनाम प्यारसिंह में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 23.09.2011 प्रदर्श–14, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में रामखिलाडी पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर, पमडी का पुरा श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं तथा राधेश्याम गुर्जर पुत्र रतनसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर, पमडी का पुरा श्रीमहावीरजी जिला करौली का शपथ पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई साक्ष्य करायी है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 प्रदर्श–1 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1014 मिन से हाल खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्यारसिंह रामसहाय कमोदी विरजू रामखिलाडी पिस0 रामहेत हि0 ब0 हि0 1/2, नंगूराम बलराम मोहनसिंह पि0 दरवसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र प्रदर्श–4 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् डिक्लेरेशन हकूक खातेदारी का पेश किया जाना साबित है।

नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह वाद पत्र में हुए राजीनामा दिनांक 16.11.1970 प्रदर्श–5 के अनुसार वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादीगण का इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना बरदास्त करेंगे तथा इन आराजीयात का इन्द्राज वादीगण के नाम करा सकेंगे।

नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में आदेश दिनांक 26.11.1970 प्रदर्श–6 में अंकित किया है कि वकील वादी उपस्थित है। राजीनामा वाद तस्दीक हो चुका है। वह शामिल हो चुका है। अतः वरूये राजीनामा डिक्री किया जावे। आज्ञा सुनाई गई। परचा डिक्री तैयार किया जावे।

नकल न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी वाद पत्र प्रदर्श–7 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी का पेश किया जाना साबित है।

नकल न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं071/81 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा तकास्मा आराजी में पारित आदेश दिनांक 16.09.1985 प्रदर्श–8 वादी का दावा तनकी नं02 में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण खारिज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा की आदेशिका दिनांक 25.02.2004 प्रदर्श–9 के अनुसार वादीगण का दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया है।

नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह आदेशिका दिनांक 12.08.2008 प्रदर्श–10 के अनुसार पूर्व में विचाराधीन प्रकरण के आधार पर प्रथम दृष्टया केस चलने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किया गया है।

नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 351/98 उनवानी दरबसिंह वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह वाद पत्र की प्रति प्रदर्श– 11 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी का पेश किया जाना साबित है।

नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 64/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र की प्रति प्रदर्श– 12 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना साबित है।

नकल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 34/2008 उनवानी नंगूराम वगैराह बनाम प्यारसिंह वगैराह अपील विरूद्ध निर्णय उपजिला कलक्टर हिण्डौन प्रकरण संख्या 37/2008 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 की प्रति प्रदर्श–13 के अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की गई।

नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 64/2008 उनवानी नंगू बनाम प्यारसिंह में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

पारित आदेश दिनांक 23.09.2011 प्रदर्श–14 के अनुसार प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में पूर्व में मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का दावा बाबत् डिक्लेरेशन हकूक खातेदारी का चला था जिसमें पक्षकारान ने राजीनामा दिनांक 16.11.1970 को न्यायालय में पेश कर राजीनामा में अंकित किया कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादीगण का इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना बरदास्त करेंगे तथा इन आराजीयात का इन्द्राज वादीगण के नाम करा सकेंगे। उक्त राजीनामा के आधार पर न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन ने मुकदमा नं0 118/68 उनवानी परसादी बनाम दरबसिंह में दिनांक 26.11.1970 को आदेश पारित करते हुए आदेश में अंकित किया है कि वकील वादी उपस्थित है। राजीनामा वाद तस्दीक हो चुका है। वह शामिल हो चुका है। अतः वरूये राजीनामा डिक्री किया जावे। आज्ञा सुनाई गई। परचा डिक्री तैयार किया जावे। जिससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजी ासरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के मुकदमा नं0 118/68 के वादीगण खातेदार काश्तकार थे किन्तु वादीगण के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.1970 का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं कराया। उक्त निर्णय व डिक्री मियाद बाहर हो चुके है। जिनके आधार पर वादीगण वर्तमान में कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन का कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था, जिसका दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये हाल खसरा नम्बर 1611 का रकबा 0.72 है0 है। जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1611 का रकबा 0.48 है0 ही होना चाहिए था, इस प्रकार बेशी रकबा 0.24 है0 के सम्बन्ध में वादीगण ने कोई तथ्य अपने दावे में स्पष्ट नहीं किये हैं। इस प्रकार वादीगण ने क्लीन हैण्डस से दावा पेश नहीं किया गया है बल्कि तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया गया है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन पहले वादीगण परताप, वादी नम्बर 8 रामसहाय तथा वादी नम्बर 2 ता 5 के पिता किशोर तथा वादी नम्बर 6,7 के पिता परसादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4,5 के पिता धनीराम के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि थी। वादीगण ने साबिक रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। जिसके आधार पर वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सके। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के प्रतिवादी सं01 ता 3 बहिस्सा बराबर हि0 1/2 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिनके स्थान पर वादीगण को उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा पर्याप्त दस्तावेजी सबूतों के अभाव में खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 5 बिस्वा, 1037 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हेमराज गुर्जर ) 17/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला-करौली